रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 1971/अग्रहायण 29, 1893
No 222] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 1971/AGRAHAYANA 29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th December 1971

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1971-March 1971 (Amendment No. 45*

No. 178-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April 1971—March 1972 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC (PN)/71 dated the 30th April 1971 as amended from time to time. Attention is also invited to Public Notice No. 114-ITC(PN)/71 dated the 8th September 1971 under which two additional remarks were inserted in column 5 against the export product at S.No. B.11.1 on pages 148 to 151 of the aforesaid policybook.

2. The following amendment may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol.II).	Reference	Amendments
1	2	3
148-151	B·11·1 Col. 5	The existing remark number 2 may be substituted by the following :— "(2) Only such of the drugs which find a mention in the latest Indian Pharmacopoeia, the Pharmacopoeia of the United States of America, British Pharmacopoeia, British Pharmaceutical Codex, the State Pharmacopoeia of Union of

1	2	3
		Soviet Socialist Republic, the National Formulary of the United States of America, the International Pharmacopoeia, the Japanese Pharmacopoeia and such other drugs as are specially certified by the Drugs Controller (India) and appearing in the manufacturing licence issued under the Drugs and Cosmetics Act 1940, (as amended) will be elligible for import replenishment licence against exports".
		The remark No. (5) inserted under Public Notice No. 114-ITC(PN)/71 dated the 8th September 1971 may be renumbered as remark number (6) and substituted by the following:—
		"(6) Finished formulations in dosage form for human and veterinary use such as tablets, capsules, injections, skin ointments, drops, syrups, pessaries, granules, medical lozenges, inhalers, pills, medical aerosols, oral drops, liniments lotions, tinctures, extracts, bulk premisces or blends for formulation purposes, biological diagnostic sera appearing in the manufacturing licence issued to the manufactures under the Drugs and Cosmatics Act, 1940 (as amended will be eligible for import replenishment licence against exports. However, tinctures/extracts of trees, barks, leaves, flowers, seeds etc., will not be entitled for export assistance under B·II·1.
		The remark number (6) inserted *vide* Public Notice Number 114-ITC (PN)/71 dated 8th September 1971 may be renumbered as '(7)'.
		The following remark (8) may be inserted in Col. 5. :
		"(8) The items of export falling under the group "Drug Intermediates" would be eligible for import replenishment licence against exports provided a certificate is produced from the DGTD to the licensing authority at the time of application for the licence to the effect that the item of export is "Drug Intermediates".

NOTE: All the amendments referred to above will be applicable in respect of exports effected from 18th March 1971.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1971

विषय :—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए पजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 45)

संख्या 178-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 44-आई टी सी (पीएन)/71, दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 के वर्ष के लिए जारी की गई यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैडबक) के वां० 2 में पजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सार्वजनिक सूचना संख्या 114—आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 8 सितम्बर, 1971 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त नीति पुस्तक की पृष्ठ संख्या 148 से 151 की क्रम संख्या बी. 11.1 पर निर्यात उत्पाद के सामने कालम 5 में 2 अतिरिक्त टिप्पणियां जोड़ी गई थीं ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किये जायें: —

हैंडबुक (यथा 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
148—151.	बी. 11.1	वर्तमान टिप्पणी संख्या : 2, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाये:—
	कालम—5.	"(2) केवल वैसी ही औषधियां निर्यात के विपरीत आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए योग्य होंगी जिनकी चयनीनत्रीनतम भारतीय भेषजसंग्रह, संयुक्त राज्य अमरीका के भेषजसंग्रह, ब्रिटिश भेषजसंग्रह, ब्रिटिश भेषजीय कोडेक्स, सोवियत समाजवादी संघीय गणराज्य के राज्य भेषजसंग्रह, संयुक्त राज्य अमरीका की सूत्रावली, अन्तर्राष्ट्रीय भेषजसग्रह, जापान के भेषजसंग्रह में की गई है और अन्य ऐसी औषधियां जो औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा विशेष रूप से प्रमाणित की गई हैं और जो यथासंशोधित औषध तथा श्रृंगार-प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत जारी किये गये विनिर्माण लाइसेंसों में दिखाई गई हैं ।"
		सार्वजनिक सूचना संख्या 114—आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 8, सितम्बर, 1971 में जोड़ी गई टिप्पणी संख्या (5)
		टिप्पणी संख्या (6) के रूप में पुनःसंख्यांकित की जाये और उसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :—
		"(6) औषध तथा श्रृंगार-प्रसाधन अधिनियम, 1940 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत निर्माणकर्त्ताओं को जारी किये गये विनिर्माण लाइसेंस में प्रदर्शित मानव चिकित्सा तथा पशुचिकित्सा के उपयोग के लिए खुराक के रूप में तैयार नुस्खे जैसे टिकिया, कैप्सूल, इन्जैक्शन, त्वचा पर लगाई जाने वाली मरहम, ड्राप्स, सिरप, पेसरि, कणी, चिकित्सा-टिकिया श्वासयत्र, गोलियां, चिकित्सा-एरोसोल, मुख में डाली जाने वाली बूंदें, लेप, लोशन टिंचर, सत्व, नुस्खों के कामों के लिए अधिक मात्रा पूर्व-वस्तुए या सम्मिश्रण, जैविक मनानिक सेरा निर्यात के बदले प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के लए अर्हक होंगे । लेकिन, पेड़ों, छालों, पत्तियों, फूलों, बीजों आदि के टिंचर/सत्व बी. 11.1 के अन्तर्गत निर्यात सहायता के लिए हकदार नहीं होंगे ।

निविष्ट की गई टिप्पणी संख्या (6), देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या 114—आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 8 सितम्बर, 1971, टिप्पणी '(7)' के रूप में पुनःसंख्यांकित की जाये ।

कालम 5 में निम्नलिखित टिप्पणी (8) निविष्ट की जाये :—

"(8) 'भेषज-मध्यस्थ' समूह के अन्तर्गत आने वाली निर्यात की मदें निर्यात के बदले आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र देते समय तकनीकी विकास महानिदेशालय से लाइसेंस प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये कि निर्यात की मद 'भेषज मध्यस्थ' है ।"

टिप्पणी : उपर्युक्त सभी संशोधन 18 मार्च, 1971 से किये गये निर्यातों के सम्बन्ध लागू होंगे ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971